



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. श्यामा रथ
सचिव

Prof. Shyama Rath
Secretary



सत्यमेव जयते

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

अर्द्ध शा. पत्र 91-1/2024(एसयू-1)/ 142186

7 श्रावण, 1948 / 29 जुलाई, 2026

विषय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [विश्वविद्यालयों (केवल) को श्रेणीबद्ध (ग्रेडेड) स्वायत्तता प्रदान करने हेतु] विनियम, 2018 के अंतर्गत विश्वविद्यालय का श्रेणीकरण।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त के संदर्भ में आपको यह अवगत किया जाता है, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश में उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने, उन्हें बढ़ावा देने और बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सुसंगत वातावरण सृजित करने के लिए लगातार प्रयासरत है जिसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षा संस्थान वैश्विक उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात से भी अवगत है कि वैश्विक उत्कृष्टता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, ताकि उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे संस्थागत रूप दिया जा सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उन्नत-प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने हेतु भारत के राजपत्र में 12 फरवरी 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) [विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीबद्ध (ग्रेडेड) स्वायत्तता प्रदान करने हेतु श्रेणीकरण] विनियम, 2018 अधिसूचित किया है।

उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत, **कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर** से प्राप्त प्रस्ताव की परीक्षा, प्रक्रिया और विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 06 जुलाई 2026 को आयोजित अपनी 598वीं बैठक में की गई। आयोग ने उपरोक्त विनियमों के अनुसार **कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर** को **श्रेणी-1** विश्वविद्यालय का स्तर की स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय अब इन विनियमों के खंड 4, अर्थात् श्रेणी-1 विश्वविद्यालयों के लिए स्वायत्तता के आयाम के अंतर्गत निर्धारित सभी लाभ प्राप्त करने के योग्य होगा।

हालाँकि, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [विश्वविद्यालयों (केवल) के श्रेणीबद्ध (ग्रेडेड) स्वायत्तता प्रदान करने हेतु श्रेणीकरण] विनियम, 2018 की विनियम 6 के अनुसार लागू किए जा रहे हितलाभों और अपनी परिवर्तित स्थिति के बारे में सूचित करेगा।

आभार,

भवदीया,

श्यामा रथ
(श्यामा रथ)

कुलपति
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. श्यामा रथ
सचिव

Prof. Shyama Rath
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No. 91-1/2024(SU-1)/ 142186

7 श्रावण, 1948 / 29 जुलाई, 2026

Subject: Categorisation of the University under UGC [Categorisation of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

महोदय/महोदया,

As you are aware, UGC is mandated to determine, promote and maintain the standards of higher education in the country. UGC is constantly striving to create an enabling environment whereby higher education institutions in the country can become institutions of global excellence. UGC is also aware that global excellence can be achieved by extending autonomy to better-performing institutions for promoting and institutionalizing excellence in higher education.

In order to grant autonomy to the better-performing institutions, UGC has notified UGC [Categorisation of Universities (only) for grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018 on 12th February 2018 in the Gazette of India.

Under the above Regulations, the proposal received from **Kashmir University, Srinagar, Jammu and Kashmir** has been examined, processed and considered by the Commission in its 598th Commission meeting held on 06th July 2026. The Commission has decided to grade **Kashmir University, Srinagar, Jammu and Kashmir as a Category-I University** as per the above Regulations. The University shall now be eligible for all the benefits as stipulated under Clause 4, i.e., Dimensions of Autonomy for Category-I Universities, of these Regulations.

However, the University shall inform the Commission about the benefits being implemented and its changed status, as applicable, in accordance with Regulation 6 of the UGC [Categorisation of Universities (only) for Grant of Graded Autonomy] Regulations, 2018.

आभार,

भवदीया,

श्यामा रथ
(श्यामा रथ)

कुलपति
कश्मीर विश्वविद्यालय
श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर